

झारखण्ड विधान सभा



कारखाना (झारखण्ड संशोधन)

विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०-63) की धारा-66 के उप धारा (1) के खण्ड (b) के परंतुक (Proviso) का संशोधन

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

कारखाना प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कामगारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

यह भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :-

- (i) यह अधिनियम कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०- 63 की धारा 66 के उप धारा (1) के खण्ड (b) के परंतुक (Proviso) का संशोधन- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०- 63) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा 66 के उप धारा (1) के खण्ड (b) में विद्यमान

“परंतुक राज्य सरकार गजट अधिसूचना के द्वारा इस संदर्भ में किसी कारखाने अथवा समूह अथवा वर्ग के कारखाने के लिये खण्ड (b) में दिये गये अवधि में परिवर्तन कर सकता है लेकिन इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन महिलाओं के नियोजन को रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि हेतु प्राधिकृत नहीं करेगा।”

के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जायेगा।

“परन्तु पर्याप्त सुरक्षा, संरक्षा एवं बचाव के विहित उपायों को किये जाने पर किसी कारखाने में महिला कामगार को संध्या 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक की अवधि में भी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।”

यह विधेयक कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023 दिनांक 02 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 02 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष ।